रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3, 2000/आश्विन 11, 1922

No. 648] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2000/ASVINA 11, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

का.आ. 908(अ).— .नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.783 तारीख 27 सितम्बर, 1999, उसी तारीख के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 है ।

(2) जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना -- ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) "वात निरपेक्ष पाचन" से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायिल वियोजन अंतर्वलित है ;

2671 GI/2000

(ii) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है ;

(iii) "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से वह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवो द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है ;

(iv) "जैविक मीथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है ;

(v) "संग्रहण" से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है ;

(vi) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजैवीय निम्नकरण अंतर्वलित है ;

(vii) "ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंधी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलवे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है ;

(viii) "व्ययन" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है ;

(ix) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(x) "अपशिष्टों के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है ;

(xi) "भूमिभरण" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है ;

(xii) "निक्षालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है ;

(xiii) "लाइसीमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उस में से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है ;

(xiv) "नगरपालिक प्राधिकारी" से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिक परिसर जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए.सी) अथवा सुसंगत कानूनों के अंतर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है ;

(xv) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किंतु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ;

(xvi) "प्रसुविधा के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंध और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है ;

(xvii) "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होंगे और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है ;

(xviii) "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है ;

(xix) "पुनःचक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ;

(xx) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(xxi) "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है ;

(xxii) "राज्य बोर्ड या समिति" से, यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है ;

(xxiii) "ढकना" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट बिखेरने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ;

(xxiv) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कुड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहूंच को रोका जा सके ;

(xxv) "अधिभौम जल" से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के मध्य अर्थात् असंतृप्त क्षेत्र में होता है ;

(xxvi) "कृमि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केचुओं को उपयोग में लाने की एक प्रक्रिया है ;

4. नगरपालिक प्राधिकारी का दायित्व :--

(1) प्रत्येक नगरपालिक प्राधिकारी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के लिए किसी भी अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) नगरपालिक प्राधिकारी या किसी सुविधा का प्रचालक, अनुसूची 1 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालना की दृष्टि से राज्य बोर्ड या समिति से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि भरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप--1 में आवेदन करेगा ।

(3) नगरपालिक प्राधिकारी, अनुसूची- 1 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे ।

(4) नगरपालिका प्राधिकारी, अपनी वार्षिक रिर्पोटक को प्ररूप 2 में,

(क) किसी महानगर की दशा में, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव को ; या

(ख) सभी अन्य नगरों या शहरों की दशा में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त को,

प्रतिवर्ष 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड या समिति को प्रति के साथ भेजेगा ।

5. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व :--

(1) यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव का महानगरों में इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्त्तन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड या समितियों का दायित्व :--

(1) राज्य बोर्ड या समिति, भू जल, परिवेशी वायु, निक्षालन गुणता तथा कचरा खाद्य गुणता से संबंधित मानकों का मानीटरन और अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत अनुसूची ii, iii और iv में विनिर्दिष्ट भस्मीकरण मानक भी है ।

(2) राज्य बोर्ड या समिति, यथास्थिति, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा जिसके अन्तर्गत भूमिभरण भी है, स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के प्रचालक से प्ररूप--1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा तथा ऐसा प्राधिकार जारी करने से पूर्व अन्य एजेंसियों जैसे राज्य शहरी विकास विभाग, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, एयर पोर्ट या एयर बेस प्राधिकरण, भू जल बोर्ड या अन्य किसी एजेंसी के दृष्टिकोण पर भी विचार करेगा ।

(3) राज्य बोर्ड या समिति, अनुसूची 2, 3 ओर 4 में विनिर्दिष्ट अनुपालना मानदंड और मानक, जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य शर्तें भी हैं, जो आवश्यक हो, का अनुबद्ध करते हुए पैंतालीस दिवस के भीतर नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के किसी प्रचालक को प्ररूप–3में प्राधिकार जारी करेगा ।

(4) प्राधिकार दी गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा और विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् नया प्राधिकार अपेक्षित होगा ।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन और पुनर्विलोकन तथा मानीटरन डाटा के संकलन के विशिष्ट निर्देश के साथ राज्य बोर्डों और समितियों से समन्वय करेगा ।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन :--

(1) किसी शहर या नगर में उत्पन्न किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन तथा हथालन अनुसूची-2 में अधिकथित मापदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुपालन करते हुए किया जाएगा ।

(2) नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाएं, अनुसूची iii और iv में दिए गए विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेगी ।

8. वार्षिक रिपोर्ट

(1) राज्य बोर्ड और समिति प्ररूप iv में प्रतिवर्ष 15 सितम्बर को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर समेकित वार्षिक पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों सहित प्रति वर्ष 15 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

9. दुर्घटना की सूचना देना -

किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण उपचार शोधन तथा व्ययन, सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिक प्राधिकारी, प्ररूप 5 में दुर्घटना की सूचना महानगर की दशा में सचिव प्रभारी, शहरी विकास विभाग और अन्य सभी मामलों में जिला कलैक्टर या उपायुक्त को भेजेगा ।

अनुसूची - I

(नियम 4(2) और 4(3) देखिए)

कार्यान्वयन सूची

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान सुविधाओं के निष्पादन की निगरानी करना	6 माह में एक वार
3.	इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार किया जाना	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
4.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना ।	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

अनुसूची 2

[नियम 6 (1) और (3), 7 (1) देखिए]

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्रम संख्या	पैरोमीटर	अनुपालनीय मानदण्ड
1.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	1. शहरों और नगरों तथा सरकार द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषिद्ध होगा । कूड़ा-करकट फैलाने को प्रतिषिद्ध करने और अनुपालन को सुकर करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे, अर्थात् :-- (i) सामुदायिक कूड़ेदान द्वारा संग्रहण, (मध्यस्थित कूडादान) घर-घर जाकर संग्रहण, ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर (अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों से अधिक ध्वनि किए बिना) पूर्व सूचित नियमित समयों और समय सारणी के अनुसार जैसे किन्हीं ढंगों में से किसी को अपनाकर घर-घर जाकर कूड़ा-कचरा संग्रहण करना । (ii) होटलों/रेस्ताराओं/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यक क्षेत्रों समेत झुग्गी-झोपड़ी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करना । (iii) बूचडखानों, मांस और मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का, जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है, प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सके, (iv) जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा । (v) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को हाथ से खींची जाने वाली ठेला गाडियों द्वारा सामुदायिक कूड़ाधरों में डाला जाएगा । (vi) बागबानी और निर्माण/ढ़हाए गए कार्यों से उदभूत अपशिष्टो/मलबे को अलग-अलग संगृहीत किया जायेगा और समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा इसी प्रकार, दुग्ध डेरियों से उत्पन्न अपशिष्ट को राज्य विधियों के अनुसार विनियमित किया जायेगा । (vii) अपशिष्ट (कूड़ा-करकट, सूखी पत्तियां) को जलाया नहीं जायेगा । (viii) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूडादान स्थलों अथवा शहर/नगर में किसी अन्य स्थान के आसपास नहीं धूमने दिया जायेगा तथा राज्य विधियों के अनुसार उनका प्रबंध किया जायेगा ।

		2. नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची को और शहर/नगर में जनहित के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को अधिसूचित करेगा ।
		3. अपशिष्ट उत्पादकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कूड़ा-करकट न फैलाएं और इस अनुसूची के पैरा 1(2) के अनुसार नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाने वाली संग्रहण और पृथक्करण प्रणाली के अनुसार अपशिष्ट के परिदान को सुनिश्चित करें ।
2.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्करण	नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा ऐसी पृथक् की गई सामग्रियों के पुनर्चक्रण/पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा । नगरपालिका प्राधिकारीय एक चरणबद्ध कार्यक्रम चलायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समुदाय को अपशिष्ट पृथक्करण में शामिल किया गया है । इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही नियमित बैठकें आयोजित की जाएगी ।
3.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का भंडारण	नगरपालिका प्राधिकारी भंडारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस-पास आस्वास्थयकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हों । भंडारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा । (i) निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भंडारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जाएगी । भंडारण सुविधा ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सके । (ii) नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भंडारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इक्कठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो और जो सौंदर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो तथा उसे अपना सा लगे । (iii) भंडारण सुविधा अथवा कूड़ेदान अपशिष्टों के हथालन, निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन का होगा । जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान हरे, पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्टों के कूड़ेदान सफेद और अन्य अपशिष्टों के भंडारण के लिए कूड़ेदान काले पेंट किए जाएंगे । (iv) अपशिष्टों का मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिषिद्ध होगा यदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्वानधानियों के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जाएगी ।
4.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन	अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन ऊपर से ढके होंगे । अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई और न ही उसे खुले रूप से इधर उधर बिखरने दिया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा :-

i) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थापित भंडारण सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जाएगा । कूड़ेदान या आधानों की, जहां भी रखे गए हों, उनके ऊपर से कूड़ा करकट निकलने से पूर्व साफ किए जाएंगे ।

ii) परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अंतिम व्ययन करने के पूर्व बार बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके ।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण — नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए समुचित तकनीक अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाएगा जिससे कि भूमिभरण पर भार कम किया जा सके तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगा :-

(i) जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट, अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कंपोस्टिंग, वार्मिकम्पोस्टिंग, बात निरपेक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जाएगा । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्पोस्ट या किसी अन्य तैयार उत्पादों कों अनुसूची - 4 में निर्धारित मानंदडों का अनुपालन करना चाहिए ।

(ii) पुनः प्राप्य संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिए रीसायकलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी । विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन के साथ अथवा उसके बिना उर्जा वसूली के पोलिटाइनेशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए । नगरपालिका प्राधिकारी/ सुविधा प्रचालक यदि नवीनतम प्रौद्योगकि का प्रयोग करना चाहते है तो उन्हें प्राधिकार की मंजूरी के आवेदन से पूर्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्धारित मानक प्राप्त करने के लिए संपर्क करना चाहिए ।

(iii) पुनः उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री से युक्त किया जाएगा ।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों का व्ययन — भूमिभरण में, जैवअनिम्नीकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनर्चक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है, निर्बधित रखा जाएगा । भूमिभरण, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अवशिष्ट और साथ ही अवशिष्ट संसाधन सुविधाओं से प्रसंस्करण-पूर्व छोड़े गए अपशिष्ट से भी किया जाएगा । मिश्रित अपशिष्ट से भूमिभरण करने से तब तक बचा जाएगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त न पाया जाये । अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाएं स्थापित किए जाने तक भूमिभरण निम्नलिखित समुचित मानको के अनुसार किया जाएगा । भूमिभरण के लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा ।

भूमिभरण स्थल अनुसूची - 3 में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप होंगे ।

अनुसूची - 3

[नियम 6 (1) और (3), 7 (2) देखिए]

भूमि-भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

स्थल चयन

1. 'विकास प्राधिकरणों' के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में भूमि भरण स्थलों का अभिनिर्धारण करना और इन स्थलों के विकास, प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए इन्हें संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों को सौपने का दायित्व विकास प्राधिकरणों का है । अन्यत्र यह दायित्व संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों का है ।

2. भूमिभरण स्थलों का चुनाव पर्यावरणीय मामलों की जांच पर आधारित होगा । राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों के शहरी विकास विभाग जरूरी अनुमोदन / मंजूरियां प्राप्त करने के लिए संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करेगा ।

3. भूमि भरण स्थल की योजना और डिज़ाइन चरणबद्ध निर्माण योजना तथा बंद करने की योजना के उपयुक्त प्रलेखन के साथ बनाई जायेगी ।

4. भूमि भरण स्थलों का चयन नजदीकी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा (वेस्ट्स प्रोसैसिंग फैसिलिटी) का उपयोग करने के लिए किया जाएगा । अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा योजना भूमि भरण स्थल के अभिन्न भाग के रूप में होगी ।

5. वर्तमान भूमि भरण स्थलों में का जो पांच वर्षों से अधिक समय में भरे जाने है इस अनुसूची के दिए गए इन विनिर्देशों के अनुसार सुधार किया जाएगा ।

6. जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का व्ययन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुसार किया जाएगा । परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अनुसार किया जाएगा ।

7. भूमि भरण स्थल का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 20-25 वर्षो तक प्रयोग किया जा सके ।

8. भूमि-भरण स्थल आवासीय बस्ती, वन क्षेत्रों, जलाशयों, स्मारकों, राष्ट्रीय पार्कों, नम भूमि तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर स्थित होगा ।

9. भूमिभरण स्थल के चारों तरफ एक बफरजोन बनाये रखा जाएगा जिसे और विकसित नही किया जाएगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में शामिल किया जाएगा ।

10. भूमिभरण स्थल विमानपत्तन से, जिसमें हवाई अड्डा भी सम्मिलित है, दूर होंगे । भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व नगरपालिका प्राधिकारी, विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

स्थल पर सुविधाएं :

11. भूमिभरण स्थल के चारों और कांटेदार तार की बाड़ / झाड़ियां लगाई जाएंगी और एक समुचित द्वार का प्रबंध किया जाएगा ताकि वहां आने वाले वाहनों अथवा अन्य परिवहन साधनों को मानीटर किया जा सके ।

12. भूमिभरण स्थल पूर्ण संरक्षित होंगे जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्ति और आवारा पशु उनमें प्रवेश न कर सकें ।

13. भूमिभरण स्थल पर वाहनों तथा अन्य मशीनरी के आसानी से आवागमन के लिए वहां पहुंच मार्ग तथा अन्य आंतरिक मार्ग उपलब्ध होंगे ।

14. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्टों को मानीटर करने के लिए अपशिष्टों के निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा तथा उपस्करों और मशीनरी को जिसमें प्रदूषण मानीटर करने वाला उपस्कर भी सम्मिलित है, रखने के लिए आश्रय-स्थल भी होगा ।

15. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा का वजन करने के लिए तुला (वे-ब्रिज), अग्नि-सुरक्षा उपकरण तथा अन्य यथा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ।

16. पीने के पानी (विशेषकर कर्मकारों के लिए नहाने की सुविधाएं) तथा जब रात के समय भूमिभरण का कार्य किया जाता है तो कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रकाश आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी ।

17. भरण स्थलों पर सावधिक सुरक्षा प्रावधानों के, जिसमें कर्मकारों के स्वास्थ्य निरीक्षण भी सम्मिलित है, व्यवस्था की जाएगी ।

भूमिभरण के लिए विनिर्देश

18. भूमिभरण के लिए नियत अपशिष्टों को भूमिभरण कम्पैक्टस का प्रयोग करते हुए अपशिष्टों के उच्च घनत्व को प्राप्त करने के लिए पतली-पतली परतों में भराव किया जाएगा । अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, जहां भारी कम्पेक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे ।

19. अपशिष्टों को तत्काल अथवा प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में 10 से0मी0 तक मिट्टी, अवस्थित मलने या निर्माण सामग्री से ढक दिया जाएगा जब तक कि अनुसूची 1 के अनुसार, कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण या ऊर्जा वसूली के लिए समयबद्ध अपशिष्ट सुविधाएं स्थापित नहीं कर दी जाती ।

20. मानसून ऋतु आरंभ होने से पूर्व भरण स्थल पर 40-65 से0मी0 मिट्टी की मोटाई वाला अन्तर्वर्ती आवरण अच्छी तरह घुटाई तथा ग्रेडिंग करके बिछा दिया जाएगा ताकि मानसून के दौरान वर्षा के पानी के रिसाव को रोका जा सके । भरण स्थल के ऐसे भाग से, जहां भराई कार्य चल रहा है, पानी के बहाव को मोड़ने के लिए समुचित नाली पटरियों का निर्माण किया जाएगा ।

21. भूमिभरण का कार्य पूरा होने के पश्चात्, उसे अन्तिम रूप से इस प्रकार ढका जाएगा, ताकि मिट्टी में पानी का रिसाव और उसका कटाव कम से कम हो । अन्तिम रूप से ढका जाना निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार होगा ;

(क) इसे अवरोधक मिट्टी की एक परत से, जिसमें 1 x 10 से0मी0/प्रति सेकिंड से कम की पारागम्यता वाली 60 से0मी0 मोटी चिकनी मिट्टी/शोधित मिट्टी होगी, अंतिम रूप से ढका जाएगा ।

(ख) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर 15 से0मी0 मोटी एक निकास परत होगी ।

(ग) निकास परत के ऊपर 45 से0मी0 मोटी एक वानस्पतिक परत होगी जो प्रकृति जन्य पादपों के पनपने में सहायता करेगी जिससे भूमि का कटाव कम से कम होगा ।

प्रदूषण निवारण

22. भूमिभरण संक्रियाओं से होने वाले प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएंगे ;

(क) विक्षालनों की उत्पत्ति को कम से कम करने तथा सतही जल करने के प्रदूषण को रोकने और साथ ही साथ बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए तूफानी जल नालियों का मोडा जाना ।

(ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली का सन्निर्माण करना। ऐसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्टों अथवा ऐसे अपशिष्टों, जिनमें परिसंकटमय सामग्री को (जैसे एयरोसोल, ब्लीच, पॉलिश, बैटरी, अपशिष्ट, तेल, रोगन उत्पाद और कीटनाशक इत्यादि हों), भरने के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामले में न्यूनतम लाइनर विनिर्देश एक ऐसी संग्रसित अवरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वाली पोलीथिलीन (एच डी पी ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) होगी और यह 90 सैं0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्टी) की ऊपरी परत के ऊपर होगी तथा इसकी पारगम्यता 1 x 10^7 सैं0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी। जल तालिका का अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार से कम से कम 2 मीटर से नीचे होगा।

(ग) क्षालन संग्रहण और शोधन प्रबंधन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार होंगे।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी, झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आंकड़े एकत्र किए जाएं और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर के अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूमिगत जल बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भूमिगत जल स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूषित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिंचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों में तथा उनके चारों ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होंगे, अर्थात् :—

क्रम सं0	पैरामीटर	भा.मा. 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोडकर)
1.	आर्सेनिक	0.05
2.	केडमियम	0.01
3.	क्रोमियम	0.05
4.	तांबा	0.05
5.	साइनाइड	0.05
6.	सीसा	0.05
7.	पारा	0.001
8.	निकिल	—
9.	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
10.	पी एच	6.5 — 8.5
11.	लौह	0.3

12.	कुल कठोरता (सीएसीओ$_3$ के रूप में)	300.0
13.	क्लोराइड	250
14.	विलीन ठोस	500
15.	फिनोलिक मिश्रण (सी$_6$ एच$_5$ ओ एच के रूप में)	0.001
16.	जस्ता	5.0
17.	सल्फेट (एस ओ$_4$ के रूप में)	200

परिवेशी वायु गुणवत्ता को मानीटर करना

25. भूमिभरण स्थल पर, गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे की दुर्गन्ध को कम से कम किया जा सके तथा गैसो के अपस्थलीय फैलने को रोकने और भरी गई भूमि में उगाई गई वनस्पतियों को बचाया जा सके ।

26. भूमि-भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा (एल.ई.एल.) 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

27. भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजन या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा । अन्यथा, भूमि भरण गैस को जला दिया जाएगा और सीधे वायुमण्डल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा । यदि इसका उपयोग और फ्लेरिंग संभव न हो तो पैसिव वेंटिंग की अनुमति दी जाएगी ।

28. भूमि भरण स्थल पर और इसके आस-पास परिवेशी वायु की गुणवत्ता को निम्नलिखित विहित मानकों के अनुसार मॉनीटर किया जाएगा ।

क्रम सं.	पैरामीटर	स्वीकार्य स्तर
(i)	सल्फर डाइआक्साइड	120 माइक्रोग्राम/एम3 (24घंटे)
(ii)	निलंबित कण पदार्थ	500 माइक्रोग्राम/एम3 (24घंटे)
(iii)	मीथेन	न्यूनतम विस्फोटक सीमा के 25% से अधिक नहीं (650 मि.ग्रा./एम3 के समतुल्य)
(iv)	अमोनिया	
	दैनिक औसत (नमूना अवधि 24 घंटे)	0.4 मि.ग्रा./एम3 (400यू. जी./एम3)
(v)	कार्बन मोनोक्साइड	1 घंटे का औसत : 2 मि.ग्रा./एम^3 8 घंटे का औसत : 1 मि.ग्रा./एम^3

29. परिवेशी वायु गुणवत्ता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियत समय के अनुसार मानीटर किया जाएगा ।

(क) 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में छः बार ।

(ख) 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में चार बार ।

(ग) एक लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में एक वर्ष में दो बार ।

भूमि भरण स्थल पर पौधरोपण

30. तैयार स्थल को हरा-भरा बनाया जाएगा तथा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा :

(क) स्थानीय रूप से अंगीकृत अरवाद्य बारहमासी पौधों का चयन जो सूखे तथा अत्यधिक तापमान के प्रतिरोधी हैं, को उगाने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) उगाए गए पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़े निम्न - पारगम्यता परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी ।

(ग) चयन किए गए पौधों में न्यून - पोषक मिट्टी में न्यूनतम पोषक संवर्धन के साथ फलने-फूलने का सामर्थ्य होगा ।

(घ) मिट्टी के कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से पौधरोपण किया जाएगा ।

भूमि भरण स्थल पर कार्य समापन तथा पश्चातवर्ती देखभाल

31. भूमि भरण स्थल कार्य समाप्ति के पश्चात् कम से कम 15 वर्षों तक उसकी देखभाल की जाएगी तथा लम्बी अवधि तक मानीटर और देखभाल योजना में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) सबसे ऊपरी परत को पूर्ण रूप से तथा उसके प्रभावी अनुरक्षण के लिए उसकी मरम्मत करते रहना और कटाव या किसी अन्यथा नुकसान से अनुरक्षण करना ।

(ख) अपेक्षानुसार विक्षालन संग्रहण प्रणाली को मॉनीटर करना ।

(ग) अपेक्षानुसार भू-जल को मॉनीटर करना तथा भू-जल गुणवत्ता को बनाए रखना ।

(घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण करना तथा चलाते रहना ।

32. भरे गए भूमि भरण स्थलों के पन्द्रह वर्षों के पश्चात् उपयोग पर मानव बस्ती में या अन्यथा प्रयोग किए जाने के बारे में यह सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि गैस तथा विक्षालन संबंधी विश्लेषण अधिकथित मानकों के अनुसार है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध

33. पर्वतों पर बसे शहरों तथा कस्बों में, नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड प्रदूषण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्टों के अंतिम व्ययन के लिए विकसित की गई स्थानीय विनिर्दिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी । नगरपालिका प्राधिकारी जैव निम्नीकरणीय कार्यनिक अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए संसाधन सुविधएं स्थापित करेगी । निष्क्रिय तथा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपयुक्त क्षेत्रों की भराई करने में प्रयोग किए जाएगें । पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क पर विछानें या भराई के लिए उपयुक्त न पाए गए अपशिष्टों का निपटान विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमि भराई में किया जाएगा ।

अनूसूची 4
[नियम 6 (1) और (3), नियम 7 (2) देखे]

कचरा खाद और शोधित निक्षालनों और भष्मीकरण के मानक

1. अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं में कचरा खाद, भष्मीकरण, गुटिकाकरण, ऊर्जा प्रतिलाभ या ऐसी अन्य सुविधाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अपेक्षित समुचित प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी ।
2. नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा निजी एजेंसी के नियुक्ति के मामले में, नगरपालिका प्राधिकार और प्राइवेट एजेंसी के बीच एक विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट के प्रदाय और अन्य संबंधित शर्तों और निबंधनों पर विनिर्दिष्ट करार किया जाएगा ।
3. कम्पोस्ट संयंत्र और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं से होने वाली प्रदूषण समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात् :--

i. स्थल पर पहुंचने वाले अपशिष्टों को आगे प्रसंस्करण से पूर्व भलीभांति रख रखाव किया जाना चाहिए । जहां तक हो सके अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र ढका हुआ होना चाहिए । यदि ऐसा भंडारण खुले में किया गया हो तो निक्षालन शोधन और निपटान सुविधा तक पहुंचने वाले पंक्तिबद्ध नालों के निक्षालन/सतही जल अपवाह को इकट्ठा करने की सुविधा के साथ अपारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।
ii. गंध, कीड़े मकोड़े कृन्तक पक्षी के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए ।
iii. संयंत्र के ब्रेक डाउन/रखरखाव के मामले में अपशिष्ट अन्तर्ग्राही को बन्द कर दिया जाना चाहिए और अपशिष्ट को भूमिभरण की ओर दिशा परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।
iv. प्रक्रिया सुविधा स्थल से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया पश्चात् अस्वीकार को नियमित आधार पर हटाया जाना चाहिए और उसे स्थल पर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए । पुनश्चक्रणयोग्य सामग्री उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से आनी चाहिए पुनश्चक्रण के अयोग्य को अच्छी तरह डिजायन किए गए भूमिभरण स्थल (स्थलों) में भेजा जाना चाहिए ।
v. कम्पोस्ट संयंत्र के मामले में विन्ड्रों क्षेत्र में पारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए । ऐसा आधार कंक्रीट अथवा कम्पैक्ट क्ले, 50 सेंटीमीटर मोटी, जिसकी पारगम्यता गुणांक (10-7 सेमी/सेंकेड) के कम हो, का होना चाहिए । आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होनी चाहिए और इसके चारों तरफ निक्षालण । सतही अपवाह को इकट्ठा करने के लिए नालियां होनी चाहिए ।
vi. प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार की ओर नीचे की हवा में विशेष रूप से गंध की जांच करने के लिए नियमित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जानी चाहिए ।
vii. कम्पोस्ट का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पोस्ट गुणता के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्

पैरामीटर	(मि. ग्रा/कि. ग्रा. शुष्क आधार पर पीएच वैल्यु और सीएन अनुपात को छोडकर) से अनधिक* संकेन्द्रण
आर्सेनिक	10.00
कैडमियम	5.00
क्रोमियम	50.00
तांबा	300.00
सीसा	100.00
पारा	0.15
निकल	50.00
जस्ता	1000.00
सी/एन औसत	20-40
पी.एच.	5.5-8.5

*ऊपर कथित संकेन्द्र से अनधिक कंपोस्ट (अंतिम उत्पाद) खाद्य फसलों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा । तथापि, खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा ।

4. शोधित निछालन के व्ययन में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :--

क्र0 सं0	पैरामीटर	मानक (व्ययन के तरीके)		
		अंतर्देशीय सतही जल	सार्वजनिक मलनाली	भूमि व्ययन
1.	निलंबित ठोस, मि0 ग्राम/ली0, अधिकतम	100	600	200
2.	घुले हुए ठोस (अकार्बनिक) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2100	2100	2100
3.	पी.एच. मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
4.	अमोनिकल नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	50	50	-
5.	कुल कजेलडाहल, नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	100	-	-
6.	जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (27 सै0 पर 3 दिन), अधिकतम मि0 ग्राम/लि0	30	350	100
7.	रसायनिक आक्सीजन मांग, मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	250	-	-
8.	आर्सेनिक (ए.एस. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकनम	0.2	0.2	0.2
9.	पारा (एच.जी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.01	0.01	-

10.	सीसा (पी.बी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.1	0.1	-
11.	कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	1.0	-
12.	कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	2.0	-
13.	तांबा (सी.यू. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	-
14.	जस्ता (जैड.एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	5.0	15	-
15.	निकल (एन.आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	-
16.	सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
17.	क्लोराइड (सी.आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1000	1000	600
18.	फ्लोराइड (एफ. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	15	-
19.	फिनोलिक मिश्रण (सी^{6}एच^5 ओ. एच के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1.0	5.0	-

टिप्पण— अंतःभूतल जल में शोधित निछालनों को बहाते समय, बाहर जाने वाले निछालनों की मात्रा और इकट्ठा करने वाले जलाशयों में उपलब्ध विलीन जल की मात्रा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा ।

5. इनसीनेटर निम्नलिखित प्चालन और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेगा :-

क. प्रचालन मानक

(1) कम्बुशन क्षमता (ईसी) कम से कम 99.00% होगी ।

(2) कम्बुशन क्षमता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है ।

$$\text{सीई} = \frac{\%\ \text{सीओ}_2}{\%\ \text{सीओ}_2 + \%\ \text{सीओ}_2} \times 100$$

ख) उत्सर्जन मानक

पैरामीटर	सान्द्रता मि. ग्रा / एनएम^3(12 % सीओ$_2$ करेक्शन)
(1) धूल कण	150
(2) नाइट्रोजन आक्साइड	450
(3) एचसीआई	50

(4) न्यूनतम स्टेक उंचाई भूमि से 30 मीटर उपर होनी चाहिए ।

(5) राख में वाष्पशील आर्गेनिक मिश्रण 0.01 % से अधिक नहीं होना चाहिए ।

टिप्पणी

(1) विसर्जन सीमा से अधिक यदि आवश्यक हो सीमा प्राप्त करने के लिए इनसिनरेटर के साथ उपयुक्त डिजायन वाले प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित या पुनः फिर किए जाने चाहिए ।

(2) इनसिनरेटड अपशिष्ट को किसी क्लोरीनेटिड विसंक्रमक के साथ रसायनिक तरीके से शोधित नहीं किया जाना है ।

(3) क्लोरीनेटिड प्लास्टिक को इनसिनरेटड नही किया जाना चाहिए ।

(4) इनसिनरेटड राख में जहरीले त्तव विनियमित मात्रा में सीमित होने चाहिए जैसे कि समय-समय पर यथासंशोधित संकटापन्न अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 में अंतर्गत यथा परिभाषित ।

(5) इनसिनरेटर में ईंधन के रूप में केवल एलडी और एलएसएचएस / डीजल जैसे कम सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

प्ररूप - I
(नियम 4(2) और 6(2) देखिए)
प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,
सदस्य सचिव,
....
....

1.	नगरपालिका प्रधिकारी का नाम । नगरपालिका प्रधिकारी द्वारा नियुक्त एजेंसी का नाम	
2.	पत्राचार का पता टेलीफोन नं............... फैक्स नं.	
3.	नोडल अधिकारी और पदनाम(नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रक्रिया/निपटान सुविधाओं के प्रचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसी)	
4.	किस प्राधिकार के लिए आवेदन किया है (सही का निशान लगाएं)	(क) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करना एवं प्रचालन (ख) निपटान सुविधा स्थापित करना एवं प्रचालन
5.	अपशिष्ट प्रसंकरण/निपटान सुविधा, जिसे शामिल किया जाना है, का विस्तृत प्रस्ताव (संलग्न करें)	
5.1	अपशिष्ट का प्रसंस्करण (i) स्थल (ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का नाम (iii) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विवरण (iv) प्रतिदिन अपशिष्ट प्रसंस्करण की मात्रा (v) स्थल की सफाई(स्थानीय प्राधिकरण द्वारा) (vi) नगरपालिका प्राधिकरण और प्रचालन एजेंसी के बीच हुए करार का विवरण	

(vii) प्रसंस्कृत अपशिष्टों के लिए उपयोगिता कार्यक्रम(उत्पाद उपयोगिता)

(viii) अपशिष्ट प्रसंस्करण छीजन के निपटान की पद्धति (मात्रा और किस्म)

(ix) पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय

(x) परियोजना निवेश और प्रत्याशित आय

(xi) संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों के बचाव के लिए किए गए उपाय ।

5.2 अपशिष्ट का निपटान

(i) अभिनिर्धारित स्थल का नं.

(ii) स्थल का नक्शा

(iii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा

(iv) अपशिष्ट की प्रकृति और संगठन

(v) पद्धति/ स्थल चयन के लिए अपनाए गए मानदंडो का विवरण।

(vi) प्रचालन के अंतर्गत वर्तमान स्थल का विवरण

(vii) भूमिभरण की पद्धति और प्रचालन का विवरण

(viii) पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए किए गए उपाय

तारीख :

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप II

(नियम 4(4) देखिए)

नगरपालिका प्रधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

(i) शहर / नगर का नाम : .... (ii) जनसंख्या ....

(iii) नगरपालिक निकाय का नाम और पता : ....

....

टेलीफोन सं. ....

फैक्स ....

(iv) नगरीय ठोस अपशिष्ट का व्ययन ....

करने वाले प्रभारी का नाम और पदनाम ....

1. ठोस अपशिष्ट की मात्रा और संघटन

i. प्रतिदिन उद्भूत होने वाले : ....
अपशिष्ट की कुल मात्रा

ii. प्रतिदिन संग्रहीत अपशिष्ट की कुल मात्रा : ....

iii. निम्नलिखित संसाधनों के लिए कुल मात्रा :

(क) कचरा खाद बनाना : ....

(ख) कृमि संवर्धन : ....

(ग) गुट्काकरण : ....

(घ) अन्य,
यदि कोई हो, : ....

iv. भूमि भरण द्वारा व्ययनित
किए गए अपशिष्ट की
कुल मात्रा :...

(क) भरण के लिए
प्रयोग किए गए
स्थलों की संख्या : ....

(ख) प्रयुक्त क्षेत्र

(ग) क्या भार तुला
सुविधा उपलब्ध है : हां नहीं

(घ) क्या क्षेत्र में बाड़
लगी हुई है : हां नहीं

(ङ) स्थल पर प्रकाश
सुविधा है : हां नहीं

(च) क्या उपस्कर सुविधाएं
बुल्डोजर, कम्पेक्टर
आदि कृपया विनिर्दिष्ट करें : ....

(छ) स्थल पर उपलब्ध कुल श्रमिक :..

(ज) क्या आच्छादन दैनिक आधार
पर किया जाता है हां नहीं

(झ) क्या आच्छादन सामग्री का
प्रयोग किया जाता है और
क्या यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है :..

(ञ) गैस निकास के लिए प्रावधान उपलब्ध उपलब्ध नहीं

(हां / नहीं)

(ट) निक्षालन के संग्रहण के लिए प्रावधान ....

2. भण्डारण सुविधाएं

i. अपशिष्ट संग्रहण के लिए सम्मिलित क्षेत्र ....

ii. सम्मिलित घरों की संख्या ....

iii. क्या घर-घर से संग्रहण किया जाता है (यदि हां, तो क्या नगर पालिका द्वारा अथवा निजी अभिकरण अथवा गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है ।) :..

iv. कूड़ेदान :

	विनिर्देश (आकृति और आकार)	वर्तमान संख्या	भविष्य के लिए प्रस्तावित
(क) कंक्रीट से बना कूड़ेदान (क्षमता) :			
(ख) ट्रालियां (क्षमता) :			
(ग) डिब्बे (क्षमता) :			
(घ) डम्पर पेलसर :			
(ङ) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें । :			

v. क्या सभी कूड़ेदानों/संग्रहण स्थलों से प्रतिदिन कूड़ा उठाया जाता है । :

vi. क्या कूड़ेदानों इत्यादि से कूड़ा श्रमिकों द्वारा अथवा मशीन द्वारा उठाया जाता है अर्थात् उदाहरण के लिए फ्रंट एण्ड लोडर्स के प्रयोग द्वारा (कृपया सही का निशान लगाएं) : श्रमिकों द्वारा लोडर अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें,

3. परिवहन

	वर्तमान संख्या	वास्तविक आवश्यकता/प्रस्तावित
i. ट्रक :		
ii. ट्रक-टिपर :		
iii. ट्रैक्टर-ट्रेलर :		
iv. रिफ्यूज-कलेक्टर :		
v. डम्पर-प्लेसर :		
vi. पशु-ठेला :		
vii. तिपहिया साइकिल :		
viii. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :		

4. क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया गया है

---

5. क्या प्राइवेट फर्मों इत्यादि को नीचे दी गई जैसी अपशिष्ट को संसाधन द्वारा उपयोगी बनाने की तकनीक को आजमाने के लिए आमंत्रित करने के कोई प्रयास किए गए हैं :

	अपशिष्ट को उपयोग बनाने की तकनीक	प्रस्ताव	किए गए उपाय (वह मात्रा जिसका प्रसंस्करण किया जाता है)
i. कचरा खाद बनाना :			
ii. कृमि समूह संवर्धन :			
iii. गटिकाकरण :			
iv. अन्य, यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें। :			

6. निम्नलिखित अस्वास्थ्यकर संक्रियाओं को रोकने के लिए कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है :

i. दुग्धशाला से संबंधित क्रियाकलाप :
ii. बूचड़खाने और जानवरों का अप्राधिकृत वध :
iii. मलवा (भवन संबंधी मलवा) उठाना:
iv. पार्कों, फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण :

7. कितनी मलिन बस्तियों की पहचान की गई हैं और क्या इनमें स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं :

8. क्या दांडिक कार्रवाई के लिए नगरपालिका मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं : हां नहीं
[यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए और उनका निपटान किया गया (वर्षवार ब्यौरे दें)]

9. अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

(i) निगम के नियंत्रणाधीन कितने अस्पताल/क्लीनिक हैं

(ii) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के व्ययन के लिए कौन सी रीतियां अपनाई जाती हैं ?

(iii) क्या जैव-चिकित्सीय अपशिष्टों के व्ययन के लिए सामूहिक शोधन सुविधा स्थापित करने के लिए आपका कोई प्रस्ताव है ?

(iv) शहर / नगर में कितने प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि चल रहे है और उनके अपशिष्ट के व्ययन पर निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नगर पालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप-III

(नियम 6 (3) देखें)
प्राधिकार जारी करने का फार्म

सेवा में,

.... फाइल सं............

.... तारीख...............

संदर्भ : आपका दिनांक ....का आवेदन सं................ ।

महोदय,

.............राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच के बाद ....को उनके ....प्रशासनिक कार्यालय को ....में अपशिष्ट प्रक्रिया/ अपशिष्टनिपटान सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न शर्तों (अनुपालन के मानकों सहित) पर ....को प्राधिकृत करता है ।

(1) यह प्राधिकार ....तक वैध रहेगा । वैधता का तारीख समाप्त होने के बाद इसका पुनः नवीकरण प्राप्त करना होगा ।. (2)................राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, किसी भी समय, कोई शर्त प्रति संहरण करने के लिए लगा सकती है जिसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी ।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के उल्लंघन को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 26) के दाण्डिक उपबंध लागू होंगे ।

तारीख

स्थान

भवदीय

सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप - IV
(नियम 8(1)देखिए)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक पुनर्विलोकन रिपोर्ट का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार
'परिवेश भवन' ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली -1100032.

1.	राज्य/ संघ राज्य/क्षेत्र का नाम	
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता	
3.	इन नियमों के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में नगर विशेष अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारियों की संख्या	
4.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची I [नियम 4(3)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबद्ध I के रूप में संलग्न करें ।
5.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची II [नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबद्ध II के रूप में संलग्न करें ।
6.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची III [नियम 6(1)और (3), नियम 7 (2)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबद्ध III के रूप में संलग्न करें ।
7.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची IV [नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)] के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण	कृपया उपाबद्ध IV के रूप में संलग्न करें ।

तारीख :
स्थान

अध्यक्ष या सदस्य सचिव
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप - V
(नियम (9)देखिए)

दुर्घटना की सूचना

1. दुर्घटनाओं का तारीख तथा समय
2. उन घटनाओं का क्रम जिनके कारण दुर्घटना हुई
3. किस अपशिष्ट के कारण दुर्घटना हुई
4. मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का निर्धारण
5. किए गए आपातकालीन उपाय
6. दुर्घटना के प्रभावों का कम करने के लिए उठाए गए कदम
7. इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए के लिए किए गए उपाय

तारीख............. हस्ताक्षर.............
स्थान............. पदनाम...............

[फा. सं. 17-2/95-एच.एस.एम.डी.]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव